23-9-25

# FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का जोरावर नगर

किस्म मुकदमा – प्राप्पत्र प्रचलित रास्ता अ.धा.131, 132 एल.आर.एक्ट      मुकदमा नम्बर – 125/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्रवाही मय लघु हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.09.2025 | राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर मे दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से सबधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियो/कार्यों में से क्रमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणों का निरतारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज–5/सम/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों मे कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे है) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पचांयतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2151/भू.अ./2025 दिनाक 16.07.2025 एंव पुनः पत्रांक 2590/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम जोरावर नगर पटवार हल्का जोरावर नगर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 704/6, 706/7, 713/8 मे से जा रहे प्रचलित रास्ता ग्राम पचायत की सडक से कजोडमल पीपलोदा की ढाणी व डूडियों की ढाणी तक जाने वाले लगता हुआ प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर मौके पर रास्ते के दोनों तरफ तारबंदी होकर सुचारु [illegible] प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख [illegible] अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व [illegible] 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्ता[illegible] नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान में से, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का जोरावर नगर संलग्न है। जिस तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशषा | |

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 12-5/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। |

इसी परिपेक्ष्य में पूर्व में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के द्वारा भी गांवों में कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान के ही नाम जमाबन्दी में रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता ग्राम पचायंत की सड़क से कजोड़मल पीपलोदा की ढाणी व डूडियों की ढाणी तक जाने वाले लगता हुआ रास्ते के दोनों तरफ तारबंदी होकर सुचारू रूप से संचालित होना प्रकट होता है। उक्त प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर राज्य के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्याय[illegible]कार किया जाता है तथा मौके पर चालू प्रचलित [illegible] किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है :–

राजस्व ग्राम जोरावर नगर पटवार मण्डल जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 704 / 6 रकबा 0.070 हैक्टर सम्पूर्ण, 706 / 7 रकबा 0.090

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का जोरावरनगर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | हैक्टर में से 0.090 हैक्टर सम्पूर्ण व 713/8 रकबा 0.0300 हैक्टर में से 0.0300 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। | |
| | तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर/सिविल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | 3477/रीडर 25-9-25 |
| | (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) | |
| | यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |
| | (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested